

09.05.2017 पन्चवली राज्य लोक अदालत शिविर में पेश
हुई पन्चवली के आवेदन पर तालवाना पेश करने
गत 5 बेशियों (तारीख) से नहीं पात्रा जाता है। आवेदन
का मूल बाइपत्र मुं० 49/15 इनबानी गोपाल वरुण
मोहन फैसल हो चुका है। अतः आवेदन में आर्थवाही
बन्द की जाती है। आवेदन रवाजिज किया जाता है।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

सम्बन्धी नम्बर से कम की जाकर दायित्व
दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन